

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3136/2026

Govind Alias Goma Alias Raju S/o Sona Ram, Aged About 24 Years, Resident Of Shiv Temple, Mirja Baori Road, Kishangarh, Police Station Madan Ganj, District Ajmer Rajasthan. (At Present Lodged In Udaipur Jail)

----Petitioner

Versus

State Of Rajathan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2775/2026

Ritik S/o Kanhaiyalal, Aged About 25 Years, Ward No. 24, Shastri Nagar, Madanganj, Kishangarh, District Ajmer, Rajasthan. (Presently Lodged In Central Jail Udaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Deependra Singh Shekhawat Mr. Amit Singh Rathore Mr. Dinesh Kumar Godara
For Respondent(s)	:	Mr. Sameer Pareek, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

1. प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से जमानत के यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, साइबर पुलिस थाना, जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 02/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 308(2), 318(4), 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66(D) आई.टी.एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुए हैं।
2. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3.1 प्रार्थी-अभियुक्त गोविंद उर्फ गोमा उर्फ राजु के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में साइबर ठगी का आरोप मुख्य रूप से अभिषेक शर्मा पर है। अभिषेक शर्मा द्वारा फर्जी बैंक खातों से राशि प्राप्त कर एटीएम व क्रेडिट कार्ड से विद्झों कर प्रार्थी-अभियुक्त से यू.एस.टी.डी. डॉलर (विदेशी मुद्रा) खरीद करने का आरोप है। प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा कोई साइबर ठगी नहीं की गई है। रकम के बदले विदेशी मुद्रा प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा उपलब्ध करवाई जाने का आरोप है। इस आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त गोविंद उर्फ गोमा उर्फ राजु को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3.2 प्रार्थी-अभियुक्त रितिक के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि रितिक के खाते में केवल रुपये 50,000/- की राशि आने और वह राशि भी सह-अभियुक्त अभिषेक द्वारा ले जाना तफ्तीश से स्पष्ट है। अतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण साइबर ठगी में सह-अभियुक्तगण के साथ शामिल हैं। इस आधार पर प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा केस डायरी का अवलोकन किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के दोनों प्रकरणों में जारी आदेशों पर विचार किया गया।

6. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **1. गोविंद उर्फ गोमा उर्फ राजु पुत्र सोनाराम तथा 2. रितिक पुत्र कन्हैयालाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J